पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2021 को पेश करते हुए यह कथन किया कि माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष एक द्वितीय अपील संख्या 416/2020 रतनसिंह वगैराह बनाम वसनाकुवर वगैराह दिनांक 10.9.2020 को, उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत के द्वारा प्रथम अपील संख्या 01/2018 वसनाकुवर बनाम रतनसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 24.10.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें दिनांक 14.10.2020 को यह निर्णय पारित किया गया था कि ''पक्षकारान क उपरोक्त अपील प्रकरण में आई हुई भूमि बाबत राजस्व कार्यालय/न्यायालय के द्वारा किसी पक्षकार के पक्ष में न तो किसी प्रकार का निर्णय दिया जा सकता है और न ही राजस्व रेकर्ड के परिवर्तन/रददोबदल सम्बन्धी कोई आदेश दिया जा सकता है। माननीय सिविल न्यायालय के द्वारा जो भी अन्तिम निर्णय जारी किया जायेगा, तब पक्षकारान अपनी–अपनी ओर से सक्षम स्तर पर अनुतोष प्राप्त करने के लिये अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट उपरोक्त आधार पर निस्तारित की जाती है। अपील निस्तारित होकर नम्बर से कम की जावें।''

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2020 को जो निर्णय पारित किया गयाहै, इस निर्णय में यह स्पष्ट आदेश नहीं किया गया कि अपील स्वीकार की गई है अथवा अस्वीकार की गई अथवा आंशिक स्वीकार या आंशिक अस्वीकार की गई है, का उल्लेख नहीं है और न ही अधिनस्थ न्यायालय को क्या निर्देश दिया गयाहै, का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से अदालत के इस आदेश का प्रभाव क्या रहेगा, कुछ स्पष्ट नहीं है।

इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूपर्वत एवं तहसीलदार को इस आदेश को क्रियान्वित करने की कुछ जानकारी नहीं हो रही है अतः इस रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को प्रभावी करने के लिये आदेश की भावना को लागू करने की दिशा–निर्देश पक्षकारों को अधिनस्थ न्यायालय को आसानी से आदेश को लागू करने का आदेश प्रदान करावें।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये कथनों पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2020 का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से रिव्यू

प्रार्थना पत्र के विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने और उसे अन्दर म्याद माने जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र भी पेश किया

जिसका भी अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा म्याद के सम्बन्ध में यह कथन किया कि गत वर्ष विश्व महामारी कोरोना के कारण न्यायालयों में केवल जेलों में बंद एवं अति–आवश्यक प्रकरणों में ही जरिये विडियों कॉन्फ्रेन्सींग होने के कारण प्रार्थीगण के अधिवक्ता के न्यायालय परिसर में नहीं आने के कारण रिव्यू प्रार्थना पत्र समयावधि के भीतर पेश नहीं हो पाया। यह है कि दिनांक 11.01.2021 से न्यायालय नियमित रूप से प्रारम्भ होने पर आज यह प्रार्थना पत्र न्यायलय के समक्ष पेश किया है अतः महामारी व उपरोक्त परिस्थितियों के कारण इस रिव्यू प्रार्थना पत्र को समयावधि के अन्दर माना जाना न्यायोचित बताया।

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किये है कि ''न्यायालय हाजा द्वारा द्वितीय अपील स्वीकार की गई है अथवा अस्वीकार की गई अथवा आंशिक स्वीकार या आंशिक अस्वीकार की गई है, का उल्लेख नहीं है और न ही अधिनस्थ न्यायालय को क्या निर्देश दिया गयाहै, का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से अदालत के इस आदेश का प्रभाव क्या रहेगा, कुछ स्पष्ट नहीं है।''

न्यायालय हाजा के द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय सिरोही द्वारा दीवानी मूल प्रकरण संख्या 7/2017 जो कि श्रीमती वसनाकुवर व दीवाली बाई ने उल्लेखित हकतर्कनामें को अवैध व शून्य घोषित करनवोन का पेश किया था उसमें सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 22.5.2019 को यह आदेश दिया गया है कि '' श्रीमती वसनाकुवर पुत्री धूकसिंह पत्नी भारतसिंह व श्रीमती दीवाली बाई की ओर से अप्रार्थी रतनसिंह पुत्र नामसिंह व इन्द्रसिंह पुत्र नागसिंह निवासी– बूटडी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर यह आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण जबरदस्ती कब्जा नहीं करे, न ही उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान या हस्तान्तरित करें, न ही प्रार्थीगण के कब्जे में किसी प्रकार की रूकावट या दखलअंदाजी करें।''

इसी प्रकार उल्लेखित खसरान भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य निस्पादित हकतर्कनामें के सम्बन्ध में तथा नामा0 कार्यवाही में बरती गई अनियमितता के सम्बन्ध में विस्तृत अग्रिम अनुसंधान करवाने के आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग रेवदर के द्वारा दिये गये है।'' इस प्रकार दोनों सिविल न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए ही न्यायालय हाजा के द्वारा किसी भी पक्षकारान (अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस) के पक्ष में कोई अन्तिम आदेश पारित नहीं किया गया है और न ही अपील को स्वीकार/अस्वीकार किया गया है जो कि उचित प्रतीत होता है जिसमें रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप/संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। किसी आदेश को रिव्यू उसी स्थिति में किया जा सकता है जिसमें कोई लिपिकीय त्रुटि अथवा टंकण की त्रुटि हुई हो और जिसे सुधारा जाना आवश्यक हो। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पूर्ववर्ती आदेश को नये रूप में पारित करने यानि अपील स्वीकार करने/अस्वीकार करने सम्बन्धी अनुतोष चाहा है। इसके अतिरिक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र को अन्दर म्याद माने के सम्बन्ध में भी प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जो कारण दर्शाये है, वह स्वीकार करने योग्य नहीं माने जा सकते है क्योंकि सिविल एवं राजस्व न्यायालय नियमित सुनवाई करते आ रहे है एवं अपीलान्ट की अपील भी नियमित कोर्ट शुरू होने के उपरान्त ही निस्तारित की गई है और अपीलान्ट/प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने की नियत अवधि एक माह के समय के पश्चात यानि 03 माह के पश्चात पेश किया गया है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र म्याद बाहर पेश होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर बाद निर्णय नम्बर से कम किया जावें।

fMoh tuy dfe'uj]
tks/kij